प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2025

विषय:- जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबाबू पटेल पुत्र स्व0 छत्रपाल, निवासी जनपद-बाँदा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-3591/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025), दिनांक-28.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबाबू पटेल पुत्र स्व0 छत्रपाल, कैरी, थाना-विसण्डा, जनपद-बाँदा का निवासी है। एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 140/2007, 27/2008, 29/2008, 59/2012, 94/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 व सपठित धारा-12, 307/149 व 12 द0प्र0क्षे0अधि0, 147, 148 व 7 क्रि०ला० अमेन्डमेन्ट एक्ट में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०), बाँदा के आदेश दिनांक 30.06.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी के ऊपर एक अन्य विचाराधीन वाद लम्बित है (बन्दी जमानत पर है)। बन्दी द्वारा दिनांक 14.01.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 19 दिन तथा 16 वर्ष, 07 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी ठोकिया गिरोह का सदस्य रहा है तथा बन्दी अपराधी किस्म का होने, बन्दी की उम्र कम होने के कारण पुन: अपराध करने, बंदी के स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है अत: वह अशक्त प्रतीत नहीं होने, जेल से रिहा होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड़ फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामबाबू पटेल पुत्र स्व**0** छत्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबाबू पटेल (बन्दी संख्या-200/2022) पुत्र श्री स्व**0** छत्रपाल, निवासी जनपद-बाँदा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 84 /2026/399(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बादां।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 84 /2026/399/22-2-2025-17(296)/2025

दिनांक: 27 जनवरी, 2026 का संलग्नक

जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबाबू पटेल पुत्र स्व0 छत्रपाल, कैरी, थाना-विसण्डा, जनपद-बाँदा का निवासी है। एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 140/2007, 27/2008, 29/2008, 59/2012, 94/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 व सपठित धारा-12, 307/149 व 12 द0प्र0क्षे0अधि0, 147, 148 व 7 क्रि०ला० अमेन्डमेन्ट एक्ट में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०), बाँदा के आदेश दिनांक 30.06.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी के ऊपर एक अन्य विचाराधीन वाद लम्बित है (बन्दी जमानत पर है)। बन्दी द्वारा दिनांक 14.01.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 19 दिन तथा 16 वर्ष, 07 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी ठोकिया गिरोह का सदस्य रहा है तथा बन्दी अपराधी किस्म का होने, बन्दी की उम्र कम होने के कारण पुन: अपराध करने, बंदी के स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है अत: वह अशक्त प्रतीत नहीं होने, जेल से रिहा होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड़ फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामबाबू पटेल पुत्र स्व0 छत्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in